74

III/निग0/सीधी/2017/4207

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक

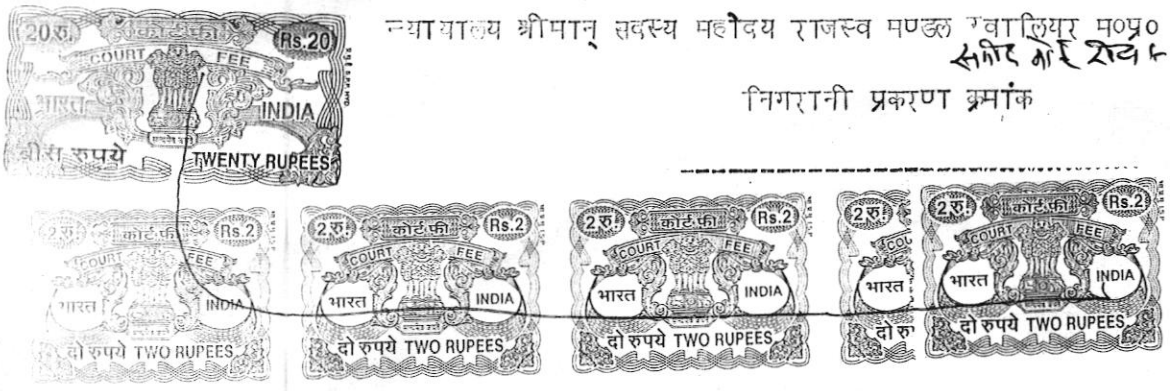

Rs. 30/-

1- श्रीमती प्रेमवती पत्नी राजेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम कुबरी,

2- श्रीमती शकुन्तला पत्नी नागेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम कुवरी,

3- कामोहन तनय गंगा प्रसाद निवासीग्राम सपही,

4- हरिकेश कुमार तनय श्री गंगाप्रसाद निवासीग्राम सपही,

6- रेवती रमन पिता श्री बनवारी प्रसाद निवासीग्रामकुवरी व सपही, तहसील जियावन जिला सीधी म0प्र0 ---- ~~अपीलार्थीगण~~

अधिवक्ता श्री रामकृष्ण शुक्ला द्वारा पेश 16-11-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)

निगराकारगण

विरुद्ध

हरिवंश प्रताप सिंह तनय श्री बल्देव सिंह निवासी ग्राम करौंदी, तहसील सिहावल जिला सीधी म0प्र0--------

--- गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा केसमक्ष श्री बी0 एस0 कुरेश के द्वितीय अपील प्रकरणक्र038/ अपील/17-18 आदेश दिनांक 30-10-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहितासन 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय

प्रेमवती

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन निगरानी/सीधी/2017/4207

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 038/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 30-10-17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिहावल ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि विशेष न्यायाधीश के अपील प्रकरण क्रमांक 97ए/2007 निर्णय दिनांक 13/09/07 द्वारा पारित डिक्री के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त रीवा द्वारा विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा गया है,अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है। 3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 038/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 30-10-17 उचित होने से	

स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य